संख्या-40/2019/625/26-3-2019-4(188)/93टी0सी0

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2019

विषयः- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निर्धारित प्रति जोडे की धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2498/स0क0/विकास/सामूहिक विवाह/2019, दिनांक-28.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोडे हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-161/2017/44वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93टी0सी0, दिनांक-12.10.2017 के प्रस्तर-1(ग) में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय हेतु निर्धारित कुल धनराशि रू0-35,000/- के स्थान पर रू0-51,000/- किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें से रू0-35000/- की धनराशि कन्या के खातें में अन्तरित की जायेगी, विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, चांदी के पायल तथा 07 बर्तन) हेतु रू0-10,000/- तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0-6000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सहायता राशि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाक शुदा के पुनर्विवाह के मामलें में भी समान रूप से लागू होगी।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0सं0-40/2019/625(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0शासन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उ0प्र0।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।